



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

POWER CORPORATION LIMITED

Gvt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

संख्या: 2751-अ0प्र0-07 / पा0का0लि0 / 2009-20-अ0प्र0-07 / 05

दिनांक: 10.12.2009

कार्यालय ज्ञाप

निर्धारित ऑन जॉब एवं आधार भूत प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने के आधार पर अधोलिखित सहायक अभियन्ताओं (प्रशिक्ष) (जानपद), जिनकी नियुक्ति कारपोरेशन आदेश सं०: 334-अ0प्र0-07 / पाकालि / 2008-20-अ0प्र0-07 / 05, दिनांक: 10.3.08 द्वारा हुई थी, को कार्यग्रहण करने की तिथि से स्थानापन्न एवं अस्थायी सहायक अभियन्ता (जानपद) पद पर उपरोक्त सन्दर्भित कारपोरेशन आदेश दिनांक: 10.03.08 में वर्णित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है एवं उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में इंगित इकाई में तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	सहा०अभि०प्र० का नाम/पिता का नाम/शाखा/जन्म तिथि/गृह जनपद	अनुक्रमांक	श्रेणी	सहा०अभि०(प्रशिक्ष) पद पर तैनाती स्थल/इकाई	सहा०अभि० पद पर तैनाती स्थल/इकाई	अभिज्ञान संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	रोशन कुमार राम/राम प्रसाद राम/जानपद/23.10.83/देवरिया	21190280	अनु०जाति	लखनऊ डिस्काम	लखनऊ डिस्काम	200902
2.	शैलेश कुमार सिंह/फतेह बहादुर सिंह/जानपद/12.2.78/जौनपुर	22191083	अनु०जाति	जानपद पारे०-2 लखनऊ	जानपद पारे०-2 लखनऊ	200903
3.	अमित कुमार चौधरी/शिव कुमार चौधरी/जानपद/13.9.84/मिर्जापुर	21190296	अनु०जाति	जानपद पारे०-2 लखनऊ	जानपद पारे०-2 लखनऊ	200904
4.	सुधीर कुमार पाल/झूरी राम पाल/जानपद/12.12.75/वाराणसी	21190294	अ०पि०व०	जानपद पारे०-2 लखनऊ	जानपद पारे०-2 लखनऊ	200905
5.	विजय शंकर जौहरी/श्री कृष्ण प्रसाद/जानपद/13.10.75/गोरखपुर	22191108	अ०पि०व०	जानपद पारे०-2 लखनऊ	जानपद पारे०-2 लखनऊ	200906

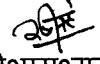
2. उपरोक्त सहायक अभियन्ताओं पर पावर कारपोरेशन द्वारा भविष्य में समय समय पर जारी किये जाने वाले सेवा नियम, विनियम एवं आदेश लागू होंगे।
3. उपरोक्त सहायक अभियन्ताओं पर कारपोरेशन में वर्तमान में प्रभावी अंशदायी भविष्य निधि योजना (सी0पी0एफ) 2004 एवं तत्सम्बन्धी प्राविधान लागू होंगे।
4. उपरोक्त नियुक्तियाँ सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के सन्तोषजनक पाये जाने के प्रतिबन्ध के अधीन की गई है। चरित्र एवं पूर्ववृत्त के असन्तोषजनक पाये जाने की दशा में सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताये हुए अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
5. यह नियुक्तियाँ अस्थायी है और अनु0जाति/अनु0जनजाति/पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है। यदि अनु0जाति/अनु0जनजाति/पिछड़ा वर्ग का दावा झूठा पाया जाता है तो सम्बन्धित सहायक अभियन्ता की सेवाये बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और झूठे प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।
6. उपरोक्तानुसार सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वास्तविक यात्रा अवधि एवं सामान्य यात्रा भत्ता ही देय होगा एवं कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 2751(1)-अ0प्र0-07/पा0का0लि0/2009 तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. निजी सचिव अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक गण उ0प्र0पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
 2. प्रबन्ध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
 3. महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास) उ0प्र0पाकालि, सरोजनी नगर, लखनऊ।
 4. मुख्य अभियन्ता, जानपद पारेषण, उ0प्र0पाकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 5. मुख्य अभियन्ता कम्प्यूटराइजेशन इकाई उ0प्र0पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
 6. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
 7. उपसचिव (04) उ0प्र0पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
 8. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता।
 9. अधिशाषी अभियन्ता (वेब) कक्ष सं0: 607 उ0प्र0पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
 10. वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।



आज्ञा से,

(बी0पी0एस0राठौर)
उपसचिव
